अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0ए0 वाद सं0–55/2011–12

महादेव मंडल, पिता–स्व0 बाबुलाल मंडल, ग्राम–पोखरिया, थाना–हंसडीहा, जिला–दुमका–**बनाम्**–रघुवीर मंडल, पिता–स्व0 उमेश मंडल, ग्राम–सलिया, थाना–सरैयाहाट, थाना–दुमका एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
22.2.23	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–55/11–12 महादेव मंडल, पिता–स्व0 बाबुलाल मंडल, ग्राम–पोखरिया, थाना–हंसडीहा, जिला–दुमका के द्वारा रघुवीर मंडल, पिता–स्व0 उमेश मंडल, ग्राम–सलिया, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0एम0 केस नं0–307/2008–09 में पारित ओदश दिनांक–05.10.2009 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा भुगतबंधा विलेख सं0–979/08, दिनांक–17.11.2008 जो मौजा पोखरिया जमाबन्दी नं0–43/05 दाग सं0–333/345 रकवा– 02 बीघा 13 धूर जमीन में संबंधित है को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना। स्पष्ट है कि संबंधित मामला 06 वर्षो से अधिक हो चूका है जबकि भुगतबंधा विलेख 06 वर्षो के लिए ही निर्गत था। अतएव वाद की कार्रवाई चलाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई इसी समीक्षा के साथ समाप्त की जाती है। अपर समाहर्त्ता, दुमका अपर समाहर्त्ता, दुमका	

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2023.03.02 12:45:26 +05:30
Location: 192.168.1.124